HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 1325 **Indore, Dated 10.09.2020**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

श्री अर्जुन सिंह काक
पिता श्री कर्नल अनिल काक (से.नि.),
पता–, 64/67, धार कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
दूरभाष क्र.–0731–40333038

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 1259 दिनांक 02/09/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 22/2020–2021 दिनांक 02/09/2020 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:–

"दिनांक 23 जनवरी 2020 को F.A. No. 194/2007 के संबंध में श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय को एक पत्र दिया गया था। जिसकी प्रति संलग्न है।

(अ) उक्त पत्र के आधार पर जो भी कार्यवाही हुई है उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रदान करने का कष्ट करें।

(ब) प्रकरण लिस्टिंग के संबंध में जो भी आदेश हुए हैं/नोट्स/टीप्स सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रदान करने का कष्ट करें।"

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. चाही गयी जानकारी के विषय में संबंधित शाखा द्वारा सूचित किया है कि, लंबित प्रकरण प्रथम अपील क्रमांक–194/2007 (Col. Anil Kak (Retd) Vs. The Secretary & Others) में आप अर्जुन सिंह काक का संबंधित पक्षकार होना या कर्नल श्री अनिल काक (से.नि.) का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होना प्रकट नहीं होता है।
2. चाही गयी जानकारी के विषय में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा प्राप्त आर. टी.आई. आवेदन में चाही गयी जानकारी से संबंधित प्रकरण प्रथम अपील क्रमांक–194/2007 (Col. Anil Kak (Retd) Vs. The Secretary & Others) इस माननीय न्यायालय में लंबित है। अतः माननीय न्यायालय के आदेश के बिना लंबित प्रकरण की जानकारी असंबंधित/तृतीय पक्ष को दी जाना संभव नहीं हैं।
3. चाही गयी जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी की परिधि में आने के साथ ही व्यक्तिगत सूचना की परिधि में भी आती है एवं इसका प्रकटन किसी विस्तृत लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है चाही गई तृतीय पक्ष की जानकारी के प्रकटन से उस पक्ष की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो सकता है। अतः उक्त जानकारी प्रदाय के संबंध में आपके अनुरोध को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) अंतर्गत अस्वीकार किया जाता है ।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), 10/09/2020
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर